

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।  
वित्त विभाग।\*

\*अनौपचारिक द्वारा:-  
रूप से परामर्शित

पटना, दिनांक-30.3.2017

विषय:-मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-2056-जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-जेल, उप शीर्ष-0006-मुक्त कारागार के अधीन 13 04-विद्युत प्रभार मद में संभावित बचत राशि कुल ₹8,00,000 (आठ लाख रुपये) मात्र का मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-2056-जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-जेल, उप शीर्ष-0006-मुक्त कारागार के अधीन 21 03-आहार/पथ्य मद, 21 02 दवा भंडार मद, 21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ मद तथा 13 06 वर्दी/पोषाक मद में पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।


2. निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-2056-जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-जेल, उप शीर्ष-0006-मुक्त कारागार के अधीन 13 04-विद्युत प्रभार मद में संभावित बचत राशि कुल ₹8,00,000 (आठ लाख रुपये) मात्र का मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-2056-जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-जेल, उप शीर्ष-0006-मुक्त कारागार के अधीन 21 03-आहार/पथ्य मद में ₹4,60,000, 21 02 दवा भंडार मद में ₹2,00,000, 21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में ₹1,20,000 तथा 13 06 वर्दी/पोषाक मद में ₹20,000 संलग्न विहित विवरणी के अनुसार पुनर्विनियोग की स्वीकृति दी जाती है।

3. इस राशि के व्यय का वहन मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-2056-जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-जेल, उप शीर्ष-0006-मुक्त कारागार के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार दर्शित मद में विपत्र कोड-N2056001010006 के तहत होगा।

4. पुनर्विनियोग के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

5. प्रस्ताव में मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

  
30.3.17


संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०),  
कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)-05-01/17. 1493

प्रतिलिपि:- विहित विवरणी के साथ वित्त विभाग, प्रशाखा-2, बजट शाखा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

पटना, दिनांक-30.3.2017

  
30.3.17

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०),  
कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)-05-01/17. 1493

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

पटना, दिनांक-30.3.2017

  
30.3.17

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०),  
कारा एवं सुधार सेवाएँ।